न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 28 / 2024	2024 / 46	10.07.2024	15.01.2026

1. बीना पुत्री मोती खां नवासी भूरे खांन जाति मुसलमान फकीर,
2. आस मौहम्मद पुत्र मोती खां नवासा भूरे खान जातियान मुसलमान फकीर (मिया फकीर) निवासीयान ग्राम गुवालदा तहसील टपूकडा हाल जिला खैरथल तिजारा राजस्थान।

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. कमरूदीन पुत्र श्री भूरे खान,
2. सुभान खान पुत्र श्री भूरे खान,
   निवासीयान ग्राम रायसीस तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

–असल रेस्पोडेन्ट्स

3. जैतूनी पत्नि छुन्ना मेव पुत्री भूरें खां, निवासी धौली दूब, अलवर जिला अलवर राजस्थान।
4. जूहरी पत्नी खैराती पुत्री भूरें खां, निवासी ग्राम नंगला रायसीस अलवर जिला अलवर राजस्थान।
5. बस्सन पत्नी कालू पुत्री भूरें खां, निवासी कटोरी वाला, तिजारा रोड, अलवर जिला अलवर राजस्थान।
6. रहमती पत्नि भंवरू पुत्री भूरें खां, निवासी ग्राम बलवंडका, तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।
7. सुभानी पत्नी असरू, पुत्री भूरें खां, निवासी ग्राम नसोपुर, तहसील रामगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
8. फरीदा पुत्री मोती खां, नवासी भूरे खान जाति मुसलमान फकीर निवासी ग्राम गुवालदा तहसील टपूकडा हाल जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

–तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट, विरूद्ध निर्णय तहसीलदार अलवर विरासत इन्तकाल संख्या 08 दिनांक 04.01.1992 वाके ग्राम रायसीस, पटवार हल्का सिरमौली, तहसील व जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–

01–श्री संजीव जैन –वकील अपी0
02–श्री अनिल गुप्ता –वकील असल रेस्पो0
03–श्री नरेश गुप्ता –वकील तर.रे. सं. 5

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

–:निर्णय:–

यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अलवर द्वारा ग्राम रायसीस तह0 व जिला अलवर के विरासत नामांतकरण संख्या 08 दिनांक 04.01.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलार्थीगण द्वारा दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा विरासत इन्तकाल संख्या 08 दिनांक 04.01.1992 वाके ग्राम रायसीस पटवार हल्का सिरमौली, तहसील व जिला अलवर भूरें खां पुत्र वजीर फकीर की मृत्यु होने के पश्चात उसकी पुश्तैनी आराजी की बाबत असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्रार्थना पत्र संख्या 215 दिनांक 26.12.1991 की पालना में विधि विरूद्ध तरीके से

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

हल्का पटवारी द्वारा भरकर आईएलआर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर आईएल आर द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से बिना जॉच किये ही उक्त इंतकाल जॉच करना बताते हुये तहसीलदार अलवर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पश्चात एल.आर.एक्ट व राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम व मुस्लिम विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमाने तरीके से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा बिना विधिक वारिसान की जॉच किये तस्दीक कर स्वीकृत कर दिया गया। जिस विधि विरूद्ध इंतकाल के विरूद्ध उक्त अपील मिन अपीलाण्टान की ओर से अपने विधिक अधिकारों की रक्षार्थ नेक नियति सद्भावना से प्रस्तुत की जा रही हैं।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय Contrary to Law एवं Procedure के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपना जूडिशियल माइंड कतई अप्लाई नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत इन्तकाल स्वीकृत किये जाते समय बडी लापरवाही पूर्वक आराजी मुतनाजा, उसका वास्तविक स्वामित्व व भौतिक कब्जे की जॉच ना कर मनमाने तरीके से तस्दीक कर दिया गया।

तहसीलदार अलवर द्वारा राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स, मुस्लिम विधि, भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार इन्तकाल तस्दीक किया जाना चाहिए था तथा मृतक के सम्पूर्ण विधिक वारिसान की जाँच कर इन्तकाल तस्दीक किया जाना चाहिए था। किन्तु तहसीलदार अलवर द्वारा सरसरी तरीके से व मनमाने एंव गैर जिम्मेदाराना तरीके से उक्त इन्तकाल स्वीकृत फरमा दिया गया। जिस कारण उक्त इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य है।

भूरें खान के विधिक वारिसान का सजरा निम्न प्रकार हैं:–

भूरें खां **(मृतक)**

मल्ली (पत्नी)**(मृतक)** | सुभान (पुत्र) | कमरूदीन (पुत्र) | जैतुनी (पुत्री) | जुहरी (पुत्री) | रहमानी (पुत्री)**(मृतक)** | बस्सन (पुत्री) | रहमती (पुत्री) | सुबानी (पुत्री)

रहमानी **(मृतक)** के वारिस:

आसमौहम्मद (पुत्र) | बीना (पुत्री) | फरीदा (पुत्री)

उक्त इन्तकाल अपीलाण्टान को सुने बिना इकतरफा में पीठ पीछे से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना कर तस्दीक क्रिया गया है। जबकि आराजी मुतनाजा में अपीलाण्टान के हित निहित होने के कारण अपीलाण्टान को भी सुना जाना चाहिए था। तहसीलदार अलवर द्वारा अपना आक्षेपित आदेश पारित करते समय मृतक श्री भूरें खान के सभी विधिक वारिसान की जाँच विधिक तरीके से गाँव के मौजीज व्यक्तियो तथा मृतक के पुत्र–पुत्रीयो की साक्ष्य लेकर तथा वहाँ के प्रबुद्ध नागरिको से पूछताछ की जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा नही किया गया। जिस कारण भी उक्त इंतकाल मन्सुख किये जाने योग्य है।

तहसीलदार अलवर द्वारा अपना आक्षेपित आदेश पारित करते समय मुस्लिम विधि में प्रचलित उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो की पालना नही की तथा मनमाने तरीके से उक्त आज्ञा पारित कर दी जबकि मृतक भूरें खान की अपीलाण्टान की माता श्रीमति रहमानी पत्नि मोती खां विधिक व जायज पुत्री थी, जिसके हम अपीलाण्टान व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 08 विधिक वारिसान है तथा मृतक भूरें खान की विरासत इन्तकाल अपीलाण्टान की माता व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के नाम भी नियमानुसार दर्ज कर तस्दीक किया जाना चाहिए था।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

तहसीलदार अलवर द्वारा अपना आक्षेपित आदेश पारित करते समय भू–राजस्व अधिनियम व भू–राजस्व नियम के प्रावधानो का कतई पालन नही किया बल्कि उक्त आदेश मनमाने एवं गलत व बेजा रूप से पारित किया गया जिस कारण से भी उक्त आज्ञा मन्सुख किये जाने योग्य है।11– यह कि प्रश्नगत आराजी की बाबत मूल इंतकाल सख्या 08 में से मल्ली पत्नि भूरें खां मेव की मृत्यु होने के पश्चात मल्ली की तत्समय दर्ज खातेदारी की आराजी में से समस्त कागजात माल में मिन अपीलाण्टान व रेस्पोडेन्टान का नाम मुस्लिम विधि के तहत दर्ज हो गया। जिस आराजी पर असल रेस्पोडेन्टान द्वारा मिन अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट सख्या 08 के हिस्से की आराजी में दिनांक 10.07.2022 को झगडा–फिसाद करने व दिनांक 13.07.2022 को तकासमा नही करने पर मिन अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्ट द्वारा एक राजस्व वाद अनुवानी आसमौहम्मद–बीना–फरीदा बनाम कमरूदीन–सुभान आदि के विरूद्ध अदालत उपजिलाधीश अलवर की अदालत में अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट. के तहत दायर किया गया। जो राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र वर्तमान में विचाराधीन चला आ रहा हैं।

उक्त इन्तकाल की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.06.2024 को अपीलाण्टान को तब हुई जब अपीलाण्टान द्वारा सक्षम न्यायालय उपजिलाधीश अलवर में विचाराधीन राजस्व वाद आसमौहम्मद बनाम कमरूदीन में समस्त पुश्तैनी आराजी व मृतक भूरेखां की राजस्व रिकार्ड में वर्णित आराजी मुतनाजा का दिनांक 13.06.2024 को जिला लेख भण्डार व बन्दोबस्त विभाग में अवलोकन करने पर जानकारी हुई कि मृतक भूरें खां की विरासत इंतकाल संख्या 08 दिनांक 04.01.1992 असल रेस्पोडेन्टान के पक्ष में स्वीकृत हो गया हैं। तत्पश्चात उसी दिन विरासत इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र भू–प्रबन्ध कार्यालय अलवर में पेश किया गया। जो नकल तैयार होकर दिनांक 13.06.2024 को प्राप्त हो गई। उसके पश्चात अपीलाण्टान द्वारा वकील साहब से कानूनी सलाह मशिवरा किया गया तो उनके द्वारा मूल विरासत इंतकाल के विरूद्ध अपील करने की सलाह दी गई। इसके उपरान्त अपीलाण्टान द्वारा खर्चा मुकदमा व फीस अधिवक्ता का इन्तजाम कर उक्त अपील तैयार कराकर बिना किसी देरी के नेक नियति सदभावना से अपने हकूको की रक्षार्थ पेश की जा रही है तथा इन्तकाल स्वीकृत तिथी 04.01.1992 से लाईलमी मे जो समय 12.06.2024 तक का जाया हुआ है तथा अपील हेतु खर्चा मुकदमा व फीस इत्यादि का इन्तजाम करने मे जो समय जाया हुआ है वह माफ किये जाने योग्य है तथा जानकारी तिथि से अपील अन्दर अपने विधिक अधिकारों की रक्षार्थ प्रस्तुत करना लाजमी हुआ हैं। चूंकि विरासत इंतकाल विधि विरूद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की घोर अवहेलना करते हुये अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान को सुने बिना स्वीकृत किया गया हैं। जिस कारण अपील गुणागुण के आधार पर निस्तारित किये जाने योग्य है। अलहदा से प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश है।

अतः अपील अपीलाण्टान प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्टान स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या 08 दिनांक 04.01.1992 वाके ग्राम रायसीस तहसील व जिला अलवर निरस्त फरमाया जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे तथा मृतक भूरें खॉ की विरासत इन्तकाल मिन अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के पक्ष में भी तस्दीक फरमाई जाने की आज्ञा दी जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अपी0 द्वारा सन् 1991 के विरासत इंतकाल को चुनौती दी है, जो कि मियाद बाहर है एवं मियाद कानून को निरर्थक करने हेतु कोई स्पष्ट एवं पर्याप्त कारण नहीं दिया गया है। इंतकाल मुसलिम रीति/कानून के तहत ना होकर प्रचलित हिन्दू कानून के दर्ज किया गया है जो कि नियम/विधिविरूद्ध हैं।

15/1/26
अ. .रिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
.लवर (राज0)

नाम0 सरसरी कार्यवाही है और अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। अधिकारों की घोषणा केवल नियमित वाद में की जा सकती है जिसके लिए विभाजन हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां घोषणात्मक दावा विचाराधीन होने के कारण इंतकाल अपील का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपी0 द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे। साथ ही रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में RRT 2012(1) PAGE 374, RRT 2008(2) PAGE 1426, RRT 2017 (1) PAGE 117 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र दफा 05 पर विचार किया गया। अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उक्त नामांतकरण अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में बालाबाला तस्दीक हुआ, जिसकी जानकारी उन्हें दिनांक 13.06.2024 को नकल प्राप्त करने पर हुई। चूंकि यह मामला भूमि के अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से जुड़ा है, इसलिए न्याय हित में देरी को क्षमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

यह अपील, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अलवर द्वारा ग्राम रायसीस के विरासत नामांतकरण संख्या 08 दिनांक 04.01.1992 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण का मुख्य तर्क है कि मृतक भूरे खां की संपत्ति का नामांतकरण मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के अनुसार नहीं किया गया और अपीलार्थीगण (जो मृतक की पुत्री रहमानी के वारिस हैं) तथा अन्य पुत्रियों को विरासत से वंचित रखा गया। अपीलार्थीगण का यह भी कथन है कि उन्हें इस इन्तकाल की जानकारी 13.06.2024 को हुई, इसलिए अपील मियाद के भीतर मानी जाए।

दूसरी ओर, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेंट ने प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए तर्क दिया है कि यह अपील वर्ष 1992 के आदेश के विरुद्ध वर्ष 2024 में प्रस्तुत की गई है, जो कि अत्यधिक कालबाधित है और विलंब का कोई उचित कारण नहीं दर्शाया गया है। रेस्पोन्डेंट का सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि नामांतकरण की कार्यवाही एक सरसरी प्रक्रिया है और इससे स्वत्व/अधिकार का निर्धारण नहीं होता। उनके अनुसार, पक्षकारों के मध्य विभाजन और अधिकारों की घोषणा हेतु एक नियमित राजस्व वाद (अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट) उपखंड अधिकारी के न्यायालय में पहले से ही विचाराधीन है।

हमने ने दोनों पक्षों के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का गहराई से परीक्षण किया। आक्षेपित आदेश 1992 का है और अपील 32 वर्षों के बाद प्रस्तुत की गई है। यद्यपि अपीलार्थी ने जानकारी का दिनांक 13.06.2024 बताया है, परंतु 32 वर्षों तक राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी न होना सामान्यतः स्वीकार्य नहीं है। तथापि, न्याय हित में गुण–दोष पर विचार करना उचित है। यह सुस्थापित है कि नामांतकरण केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए होता है और यह किसी भी पक्ष के स्वामित्व का सृजन या समापन नहीं करता है। अपीलार्थीगण ने स्वयं अपने मेमो अपील में स्वीकार किया है कि उन्होंने और तरतीबी रेस्पोन्डेंट्स ने एक राजस्व वाद (आसमौहम्मद बनाम कमरूदीन आदि) उपजिलाधीश अलवर के न्यायालय में दायर किया है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2012(1) PAGE 374, RRT 2008(2) PAGE 1426, RRT 2017 (1) PAGE 117 का अवलोकन किया गया। इन निर्णयों में राजस्थान राजस्व मंडल ने स्पष्ट किया है कि यदि पक्षकारों के मध्य स्वत्व और हिस्सेदारी को लेकर सक्षम न्यायालय में नियमित दावा विचाराधीन है, तो नामांतकरण के विरुद्ध अपील या

15/01/26

अलवर (राज0)

निगरानी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नामांतकरण की प्रविष्टि अंततः सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के अधीन होती है। चूंकि इस मामले में यह प्रश्न कि "मुस्लिम विधि के अनुसार किस वारिस का कितना हिस्सा बनता है, का निर्धारण केवल गवाही और साक्ष्य के आधार पर नियमित दावे में ही किया जा सकता है, न कि नामांतकरण की संक्षिप्त प्रक्रिया में। चूंकि सक्षम न्यायालय में पहले से ही विभाजन और घोषणा का वाद लम्बित है, अतः समानांतर रूप से इस अपील को जारी रखने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि चूंकि पक्षकारों के मध्य स्वत्व और विभाजन का नियमित वाद सक्षम न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, अलवर) के समक्ष विचाराधीन है, अतः नामांतकरण के संबंध में इस स्तर पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील इसी आधार पर निस्तारित की जाती है। अतः अपी0 द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलार्थीगण अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)